कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह–815316

Email: cf-giridih@gov.in, cfgiridih@gmail.com

SAVE TREE

पत्रांकः–1223 / दिनांकः–03-12-2024

प्रेषक,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
गिरिडीह।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

विषय :– **132KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल में अपयोजित होने वाले वन भूमि के संबंध में।**

प्रसंगः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल का पत्रांक–3605 दिनांक–25.11.2024 एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल का पत्रांक–2020 दिनांक–26.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा समर्पित 132 KV D/C Jamua-Gawan Transmission Line के निर्माण में अपयोजित होने वाले वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि का वर्त्तमान स्थिति बताया गया, जिसमें बहुत ऐसे मौजे शामिल है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणो द्वारा अतिक्रमण कर खेती आदि की जा रही है। ऐसे मामले में यह आवश्यक है कि अतिक्रमण करने वाले ग्रामीणों पर तुरन्त वन अपराध मुकदमा दायर होना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि जिन–जिन ग्रामीणों द्वारा अपयोजन होने वाले वन भूमि एवं जंगल–झाड़ी पर अतिक्रमण किया गया है, उनके विरूद्ध आपके द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, इससे अधोहस्ताक्षरी अविलम्ब अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। ज्ञातव्य हो कि यह मामला वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित है।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।